

857

राजस्व मन्त्रीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक / 2018 निगरानी, भिण्ड


3/भूरा/2018/1771

3-18

3-18

3-18

14-3-18



राम जीवन शर्मा पुत्र श्री सरनामप्रसाद शर्मा निवासी चंदोखर हाल निवासी वार्ड क्रमांक 4 कस्बा गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

1. रामशंकर शर्मा पुत्र श्री सरनाम प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम चंदोखर तहसील गोहद जिला भिण्ड
2. रामखिलोनी पत्नी सरनाम प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम चंदोखर तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/ 2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.1.2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

Rasanya
अ.प्र. 17/18

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, ग्राम चंदोखर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1455/1 रकवा 0.43 एवं सर्वे क्रमांक 1464 /1 रकवा 0.30 हे. के भूमि स्वामी आवेदक के पिता स्व. सरनाम प्रसाद शर्मा है। उनके द्वारा आवेदक के पक्ष में विवादित भूमि की वसीयत दिनांक 25.6.13 को गवाहो के समक्ष संपादित की गई थी जिसकी जानकारी अनावेदकगण को प्रारंभ से थी।
2. यहकि, आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन तहसीलदार गोहद के समक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/1771

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">   प्रशासकीय सहायक </p>	